आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 347/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैक ऑफ इण्डिया मुख्य कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नारीमन प्वाईन्ट, मुम्बई तथा रीजनल आफिस 117/एच–1/240, पाण्डु नगर, कानपुर नगर शाखा कार्यालय रावतपुर (गुरूदेव पैस) शारदा नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

महाराणा प्रताप एजूकेशन सेन्टर, शिक्षण समिति, रजि॰ ऑफिस– 117/Q/66 शारदा नगर कानपुर, उत्तर प्रदेश एवं ग्राम सुन्दरपुरा, पटवार हल्का सिरोही, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा एवं कुसुम लता शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।
2. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.05.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी महाराणा प्रताप ऐज्यूकेशन सेन्टर 117/Q/66, जी.टी. रोड, शारदा नगर, कानपुर के स्वामित्व की संस्थानिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 459/774 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 478 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 478/779 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 479 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 488 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 489 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 490 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 491 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 492 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 493 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 494 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 505 रकबा 0.08 हैक्टेयर 524 रकबा 0.55 हैक्टेयर, 506 रकबा 023 हैक्टेयर व 523 रकबा 0.15 हैक्टेयर को बन्धक रख कर 60,65,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.04.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Eenforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश कर ऋण राशि जमा कराने के लिए अवसर चाहा।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ने ऋण राशि जमा कराने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी को 60,65,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **55,58,76,832.53/–** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.04.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Eenforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी महाराणा प्रताप ऐज्यूकेशन सेन्टर 117/Q/66, जी.टी. रोड, शारदा नगर, कानपुर के स्वामित्व की संस्थानिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 459/774 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 478 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 478/779 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 479 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 488 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 489 रकबा 0. 16 हैक्टेयर, 490 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 491 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 492 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 493 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 494 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 505 रकबा 0.08 हैक्टेयर 524 रकबा 0.55 हैक्टेयर, 506 रकबा 023 हैक्टेयर व 523 रकबा 0.15 हैक्टेयर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक **09.06.2022.** को सरे इजलास सुनाया गया।

9/6/22

(राजन विशाल)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर